एफ.एस. प्रकरण संख्या— 07/2018

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर

एफ.एस. प्रकरण संख्या— 07/2018
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

1. श्री जितेन्द्र कटाारिया पुत्र श्री स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष **(एफबीओ)**
   फर्म—मैसर्स— गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ।
   निवासी— हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ।
2. श्रीमति लीलादेवी कटारिया पत्नि स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष **(मालिक)**
   फर्म—मैसर्स— गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ।
   निवासी— हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ।
3. श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री नथमल जैन **(मालिक/निर्माता फर्म)**
   मैसर्स— जैन फूड प्रोडक्ट्स,एफ—35—36, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नोखा, जिला बीकानेर ।
   निवासीः—कुम्हारो का चौक, नौखा जिला बीकानेर।

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2. अप्रार्थी 1 व 3 स्वंय उपस्थित।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि0 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(पप) एंव धारा 51 के तहत

निर्णय

दिनांक 26.03.2018

यह प्रकरण श्री रजनीश शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया किः—

1— आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी नियुक्त किया है जिसमें कम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

2— आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 10.08.2011 खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी नियुक्त कर आवंटित कार्यक्षेत्र मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर दिया है जिसमें कम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

3— खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 09.08.2011 के द्वारा मेरे नाम मे त्रुटि सुधार कर अधिसुचित किया गया जिसमें क्रम संख्या 74 पर मेरा नाम अंकित है ।

एफ.एस. प्रकरण संख्या– 07 / 2018

4– आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक(जन स्वा0) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर द्वारा जरियें राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया जिसके अनुसार समस्त जिला जोधपुर मेरा कार्य क्षैत्र है । (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)।

5– दिनांक 24.05.2017 को 02:00 पी.एम. मैं रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अद्यिकारी गश्त चैंकिग, मैसर्स–गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर पर पहुंचा व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर विक्रेता की हैसियत से श्री जितेन्द्र कटाारिया पुत्र श्री स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष निवासी– हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर । उपस्थित मिले एवं आम जनता को उपयोग / विक्रय हेतु किराणा सामान, खाद्य तेल आदी सामान भण्डारण किये हुऐ पाये गये । मालिक / विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होने,वेट प्रमाण पत्र मैसर्स गौतम चन्द कटारिया,आधार कार्ड श्री जितेन्द्र कटारिया,एफएसएसआई अनुज्ञप्ति 420 पेश किया उक्त की प्रमाणित छायाप्रति सलग्ंन परिवाद है।

6– दुकान का निरीक्षण करने रैक्स पर **मसाला मटर(जैन ब्राण्ड)** 40 ग्राम के 150 पॉली पेकेट्स आम जनता हेतु विक्रय था । इसका निरीक्षण करने पर अमानक स्तर / मिथ्याछाप का शक होने पर इसकी जांच एफ एस एस एक्ट के तहत कराने के लिये रूबरू गवाह पेन कार्ड श्री छैल सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह राजपुत निवासी– बडला बासनी तह0 तिंवरी जिला जोधपुर मो0 8875255019(पेन कार्ड संलग्न) एंव मेरे साथ गये श्री रेवंत सिह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मु0 चि0 एंव स्वा0 अधि0जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ **मसाला मटर(जैन ब्राण्ड)** 40 ग्राम के 52 पॉली पेकेट्स एक ही बैच एंव निर्माण तिथी की वास्ते जांच एफ एस एस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूॅ । प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है । जो सलग्न है ।

7– रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को **रूपये 180 / –** नगद देकर **मसाला मटर(जैन ब्राण्ड)** को 40 ग्राम के 52 पॉली पेकेट्स वास्ते खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की । जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

8– खरीदशुदा **मसाला मटर(जैन ब्राण्ड)** 40 ग्राम के 52 पॉली पेकेट्स को 13–13 के चार भागो मे बान्ध कर चार भाग तैयार किये गये एंव इन हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम–1520** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई । मेने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये । चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया । एंव चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम–1520** हस्ताक्षर युक्त डॉ. सुरेन्द्र सिंह चौधरी, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह

के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना **एम–1520** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया । उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंग्न है

9– कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एंव जिस सिल से नमूना सिल्ड किया गया उसका सिल इम्प्रेशन अंकित किया गया । फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनो को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया । फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एंव उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एंव सिल्ड लिफाफा मैंरे स्वयं के द्वारा दिनांक 25.05.2017 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग–अलग असल सलंग्न है ।

10– **एम–1520** नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 24.05.2017 को एंव चतुर्थ भाग दिनांक 24.05.2017 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग–अलग मूल सलंग्न हैं।

11– अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 19098–99 दिनांक 21.06.2017 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल. एस. एलएस/520/एक्ट/2017/516 दिनांक 21.06.2017 खाद्य पदार्थ विक्रेता का जरिये रजि0 डाक सुचनार्थ श्री जितेन्द्र कटाारिया पुत्र श्री स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड शहर, जिला जोधपुर को प्रेषित की गयी एंव एक मूल प्रति मुझे प्राप्त हुई, के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मसाला मटर(जैन ब्राण्ड) का नमूना बोटल पर **Contains permitted food colour given onte label of sample but the specific name or recognized international numerical identification of permitted food colour used inte prodicts used in the product not mentioned on the label of sample. Contravention of Regulation No 2.2.2(5),2.2.2(10) of Food Safety and Standards(Packaging and Labelling) Regulations, 2011** होने के कारण मिथ्याछाप (**Misbranded**) होना पाया गया है जो एफ0 एस0 एस0 एक्ट की धारा 26 की उपधारा (2) (**ii**) का उल्लघंन है, इनके द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया गया ।

12– मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ने उक्त मसाला मटर(जैन ब्राण्ड) की खरीद हेतु इनवोईस पे ा करने हेतु जरिये डाक दिनांक 06. 06.2017 प्रेशित किया गया जो मय रजि0 रसीद संलग्न परिवाद है ।

13– मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड शहर, जिला जोधपुर ने उक्त मसाला मटर(जैन ब्राण्ड) की खरीद हेतु इनवोईस पेश करने हेतु पुनः जरिये डाक दिनांक 12.09.2017 प्रेशित किया गया जो मय रजि0 रसीद संलग्न परिवाद है ।

एफ.एस. प्रकरण संख्या– 07/2018

14– मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड शहर, जिला जोधपुर ने उक्त मसाला मटर(जैन ब्राण्ड) की खरीद हेतु मैसर्स जैन फूडस नोखा का इनवोईस 532 प्रेशित किया गया जो मय संलग्न परिवाद है ।

15– निर्माता/पैकर्स फर्म मैसर्स वीतराग इण्डस्ट्रीज, ग्राम–झूठां, तहसील– रायपुर, जिला–पाली ने अपने पत्र दिनांक 01.07.2017 के द्वारा उनकी फर्म के श्री कमलेश बोहरा का पहचान पत्र,मैसर्स वीतराग इण्ड0 का भागीदारी डिड,मैसर्स वीतराग इण्ड0 का वेट–03 प्रमाण पत्र,मैसर्स वीतराग इण्ड0 का एफएसएसआई प्रमाण पत्र प्रेशित किया जो सभी संलग्न परिवाद है ।

16– निर्माता/पैकर्स फर्म मैसर्स फर्म–मैसर्स– जैन फूड प्रोडक्ट्स,एफ–35–36, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नोखा, जिला बीकानेर ने अपने पत्र दिनांक 02.12.2017 के द्वारा उनकी फर्म के श्री अनिल जैन का पेन कार्ड,मैसर्स फूड्स नोखा का फार्म एस टी–4,मैसर्स फूड्स नोखा का एफएसएसआई अनुज्ञप्ति प्रेशित किया जो सभी संलग्न परिवाद है ।

17– इस प्रकरण से सम्बन्धित असल मूल कागजात एंव अधिसूचनाओं की छाया प्रतियॉ वास्ते अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला अभिहित अधिकारी, जोधपुर को प्रस्तुत किये जिसकी प्रति सलंग्न है ।

अप्रार्थी 1 व 3 ने अपनी लिखित जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मसाला मटर का निर्माता है तथा खाद्य विशलेषक की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य मटर मसाला में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं पायी गयी। खाद्य नमूना मटर मसाले को मात्र इसलिए Misbrand घोषित किया गया था कि सेम्पल के पाउच पर Permitted Food Colour का INS नम्बर अंकित नहीं था जबकि नमूना मटर मसाला में प्रार्थी द्वारा Food Safety and Standard (Food Product Standard additive) Regulation 2011 के अनुसार Permitted Water solute syntehtic Food Colour मिलाया गया था। अप्रार्थी कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसे कानून की सम्पूर्ण जानकारी नहीं है। फिर भी प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर खाद्य कानून की पूर्ण रूप से पालना करने का प्रयास किया जाता है। अप्रार्थी से कोई त्रुटि या कोई भूल हो जाती है तो व सहवन से हो जाती है। अप्रार्थी ने अपनी गलती का सुधार करते हुए मटर मसाले के नये पैकिंग पाउच करवा लिये है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमनें प्रकरण में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवम मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवार का अध्ययन किया एवम अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 जितेन्द्र कटारिया के पीपाड़ शहर में स्थित दुकान जो मैसर्स गौतम चंद कटारिया के नाम से फर्म है उक्त फर्म पर एफ.एस.ओ. द्वारा मसाला मटर (जैन ब्रांड) के पैकेट का सेम्पल लेने पर उसकी जॉच पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री जोधपुर राजस्थान की जॉच रिपोर्ट दिनांक 05.06.2017 के अनुसार Misbrand Under Section 3(1)(zf)(C) (i) का होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 मैसर्स गौतम चंद कटारिया, हॉस्पिटल रोड़ स्वर्णकार भवन के पास पीपाड़ शहर जिला जोधपुर जो विक्रेता है।

अप्रार्थी संख्या 3 अनिल कुमार जैन पुत्र नथमल जैन मालिक/निर्माता मैसर्स जैन फूड प्रोडक्ट एफ 35–36 रिको इण्ड्रस्टिल एरिया, नौखा जिला बीकानेर मटर मसाला के निर्माता है।

एफ.एस. प्रकरण संख्या– 07 / 2018

प्रकरण में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन हुआ है साथ ही धारा 3(1)(zf)(C) (i) का भी उल्लघंन पाया जाता है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्वेश्य है।

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवम इसके साथ संलग्न दस्तावेज, खाद्य विश्लेषक एवम जन विशलेषण राजस्थान जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट फार्म बी. संख्या एल.एस./520/एक्ट/2017/516 दिनांक 05.06.2017 द्वारा अप्रार्थी सं 3 द्वारा निर्मित सेम्पल Misbranded होना पाया गया।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री जितेन्द्र कटाारिया पुत्र श्री स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष **(एफबीओ)** फर्म–मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ।निवासी– हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर पर अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 5000/–(अक्षरे पांच हजार रुपय) शास्ति आरोपित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्रीमति लीलादेवी कटारिया पत्नि स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष **(मालिक)** फर्म–मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ।निवासी–हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर पर अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपय 5000/–(अक्षरे पांच हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री नथमल जैन **(मालिक/निर्माता फर्म)**मैसर्स– जैन फूप्रोडक्ट्स,एफ–35–36, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नोखा, जिला बीकानेर । निवासीः–कुम्हारो का चौक, नौखा जिला बीकानेर। पर अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 15000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) शास्ति आरोपित की जाती है।

प्रकरण में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन हुआ है साथ ही धारा 3(1)(zf)(C) (i) का भी उल्लघंन पाया जाता है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्वेश्य है।

अप्रार्थीगण शास्ति राशि एक माह के भीतर जमा करवाकर चालान की रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

क्रमांकः कोर्ट/एडीएम–प्रथम/2018/ दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. .खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री जितेन्द्र कटाारिया पुत्र श्री स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष **(एफबीओ)** फर्म–मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर,जिला जोधपुर ।निवासी– हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिलाजोधपुर
4. श्रीमति लीलादेवी कटारिया पत्नि स्व0 मांगीलाल कटारिया उम्र 47 वर्ष **(मालिक)** फर्म–मैसर्स– गौतम चन्द कटारिया, हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर निवासी– हास्पीटल रोड, स्वर्णकार भवन के पास, पीपाड भाहर, जिला जोधपुर ।

एफ.एस. प्रकरण संख्या— 07/2018

.5. श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री नथमल जैन **(मालिक/निर्माता फर्म)**मैसर्स— जैन फूड प्रोडक्ट्स,एफ—35—36, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, नोखा, जिला बीकानेर निवासीः—कुम्हारो का चौक, नोखा जिला बीकानेर।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।